फैक्स/आवश्यक/महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्या–डीजी–चार–101(18)/2018(पदोन्नति) दिनॉकः लखनऊःअगस्त 29 2018

आदेश

उपनिरीक्षक ना0पु0 प्रमोद कुमार (पीएनओ नं0–890931200) द्वारा निरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रोन्नति की मॉग को लेकर मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या– 10626(एसएस)2018 प्रमोद कुमार बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित मा0उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकः 12.04.2018 एवं अवमाननावाद संख्याः 1634(सी)/2016 प्रमोद कुमार बनाम श्री जी0पी0 शर्मा, अध्यक्ष उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के समादर में याची उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार शर्मा को निरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा दिनॉक 25–08–2018 को बैठक का आयोजन करते हुये उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2015 यथा संशोधित–2017 के नियम–5(2) (ख) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उक्त उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाए जाने एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उनके वर्तमान नियुक्ति के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती हैः–

क.सं.	पीएनओनं0	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	नियुक्ति का जनपद	जोन	चयन वर्ष
1	890931200	प्रमोद कुमार	लज्जा राम	07.03.1967	बदायूँ	बरेली	2016

2– पदोन्नति प्राप्त उक्त निरीक्षक अपने नियुक्ति स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवानियमावली के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। उक्त कर्मी के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो संबंधित जनपद/इकाई प्रभारी उसे अपने स्तर से सूचित करते हुये नवनियुक्त स्थान पर उसे कार्यभार ग्रहण करने हेतु सूचित करेंगे। यदि उक्त निरीक्षक का जोन/परिक्षेत्र का कार्यकाल पूर्ण हो चुका हो एवं उसका समायोजन जोन स्तर पर सम्भव न हो तो निरीक्षक का सेवाविवरण इस मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाए ताकि स्थानान्तरण के संबंध में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ स्तर से अलग से आदेश निर्गत किये जा सकें।

3– पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित उपनिरीक्षक से संलग्न प्रारूप(क)में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या–13/21/89–का–1–1997 दिनॉकः 28–5–1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉः–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

उपरोक्त तीनों परिस्थितियॉ सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध विद्यमान न हों।

Scanned by CamScanner

4– यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक ना0पु0 को निरीक्षक ना0पु0 के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती हैं तो संबंधित उपनिरीक्षक के पदोन्नति आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद व इस मुख्यालय को आख्या उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5– यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जहॉ पर संबंधित उपनिरीक्षक द्वारा स्वघोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथमसूचना रिपोर्ट की प्रतिसहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के संबंध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद व इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की बेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है। सम्बन्धित जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ जनपद प्रभारी उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से अपलोड कर पदोन्नति आदेश का कियान्वयन तत्काल कराना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन से सर्वसंबंधित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–प्रारूप(क)

29/10/18

(राकेश शंकर)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन।
3– पुलिस महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली।
4– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
5– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूँ।

प्रतिलिपि–अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Scanned by CamScanner

प्रारूप–"क"

स्वघोषणा–पत्र

मैं,————————————(नाम/पदनाम व पीएनओ)————————————
पुत्र————————————निवासी————————————
थाना————जनपद————वर्तमान में(जनपद/इकाई का नाम)————
———— नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:–

"मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2– उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3– यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:–

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनॉक तथा कारण ————
(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई————————में कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनॉक:———————— को आरोप–पत्र दिया गया है।
(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0———————— धारा————————थाना ———————— जनपद————————में लम्बित है, जिसमें दिनॉक:————————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी————————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में————————स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:–स्वघोषणा–पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।

Scanned by CamScanner